महत्वपूर्ण

सर्वोच्च प्राथमिकता / समयबद्ध

संख्या–1582/XVIII(1)/2015-03(3)/2014 T.C-1

प्रेषक,

जे0पी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–1

देहरादून: दिनांक: 09 नवम्बर, 2015

विषय:–राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं (लेखपाल) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या–1381 / XVIII(1)/2015-04/2007 दिनांक 24 सितम्बर, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं (लेखपाल) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए जनपद स्तर पर चयन समिति, शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानकों के परीक्षण हेतु चयन समिति, लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, परीक्षा की समय–सारिणी, विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश तथा परीक्षा संचालन हेतु सामान्य निर्देश उक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा निर्गत किये गये हैं।

2-- विभिन्न जनपदों से प्राप्त समस्याओं एवं मांगों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं (लेखपाल) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन के सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 24 सितम्बर, 2015 द्वारा निर्गत निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन एवं निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

(1) राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं (लेखपाल) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु शारीरिक दक्षता हेतु पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 09 कि0मी0 और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 4.5 कि0मी0 दौड़ना आवश्यक है। तद्नुसार सम्बन्धित नियमावलियों में संशोधन कर दिया गया है।

(2) राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं (लेखपाल) के रिक्त पदों के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 10 नवम्बर, 2015 को बढ़ाकर दिनांक 30 नवम्बर, 2015 निर्धारित की गयी है, जिसके फलस्वरूप परीक्षा की समय–सारिणी निम्नानुसार पुनः निर्धारित की जाती है:–

(i) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	– 30.11.2015
(ii) आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा	– 01.12.2015 से 15.12.2015
(iii) शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु प्रवेश पत्र जारी करने की अन्तिम तिथि	– 31.12.2015
(iv) शारीरिक दक्षता परीक्षण	– 15.01.2016 से 25.01.2016
(v) शारीरिक दक्षता के उपरान्त समस्त अभिलेख परीक्षा एजेन्सी को उपलब्ध कराये जाने की अन्तिम तिथि	– 15.02.2016
(vi) लिखित परीक्षा की तिथि	– 20.03.2016 (रविवार)
(vii) उत्तर कुंजी का प्रकाशन	– 25.03.2016 से 31.03.2016
(viii) आपत्तियां प्रस्तुत करने की तिथि	– 01.04.2016 से 15.04.2016
(ix) आपत्तियों के निस्तारण की तिथि	– 30.04.2016

(x) परीक्षाफल घोषित करने की तिथि – 30.06.2016
(xi)स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्रों का सत्यापन – 15.07.2016
(xii)प्रशिक्षण हेतु पत्र निर्गत करने की अन्तिम तिथि – 31.07.2016
(xiii)प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि – 01.09.2016

(3) राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं (लेखपाल) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा के सम्पादन से सम्बन्धित समस्त कार्यों हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद को परीक्षा एजेन्सी नामित किया जाता है।

(4) सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप पर स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र भी प्रेषित कर सकते हैं।

(5) आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न कर सकते हैं, किन्तु शारीरिक दक्षता की तिथि को मूल प्रमाण पत्रों की प्रतियां समिति को अवलोकित करायी जायेंगी।

(6) आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि की गणना हेतु हाईस्कूल का प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिका तथा अनिवार्य अर्हता हेतु स्नातक की अंक तालिका अथवा उपाधि अथवा प्रोविजनल डिग्री की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है। उक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में आवेदन पत्र की सन्निरीक्षा किया जाना सम्भव नहीं है।

(7) उक्त आवेदन पत्र के साथ प्राप्त परीक्षा शुल्क, जो बैंक ड्राफ्ट अथवा पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से प्राप्त होंगी, के लिए जिलाधिकारी द्वारा एक चालू खाता भारतीय स्टेट बैंक तथा मुख्यालय के हैड पोस्ट आफिस में शुल्क जमा करने हेतु खाता खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(8) राज्य/केन्द्र सरकार के अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक नहीं है, अपितु जिला सैनिक कल्याण परिषद में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पूर्व पंजीकरण तथा अभिलेख भी मान्य होंगे।

(9) राज्य के कुशल खिलाड़ियों के आरक्षण के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था सम्प्रति मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के द्वारा स्थगित है।

(10)प्रदेश में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के लिए विकलांग कोटे में कोई भी पद चिन्हित नहीं है, तथा राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) के लिए मूक एवं बधिर श्रेणी का पद चिन्हित किया गया है।

(11)पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानकों में छूट के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(12)जिलाधिकारियों द्वारा रिक्त पदों की गणना भर्ती के चयन वर्ष 2014–15 के लिए नियमावली के अनुसार दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक की जानी अपेक्षित है, तथा अग्रिम 02 चयन वर्ष दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तथा दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक की सम्भावित रिक्तियों की गणना के आधार पर आवेदन पत्र मांगे जायेंगे।

(13)जिलाधिकारी परीक्षा संचालन की कानून व्यवस्था एवं निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार आवेदन पत्रों पर कार्यवाही किये जाने के दायित्वों के लिए सीमित रहेंगे। लिखित परीक्षा का सम्पादन, अंतरीक्षकों की तैनाती, पर्यवेक्षकों की तैनाती, परीक्षा की गोपनीयता, प्रश्न पत्रों का वितरण एवं उत्तर पुस्तिकाओं का एकत्रीकरण, मूल्यांकन, प्रश्न पत्रों के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण के उपरान्त श्रेष्ठता क्रम में वर्गवार परीक्षाफल उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा घोषित कर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14)आवेदन पत्रों की तिथि बढ़ाये जाने के फलस्वरूप परीक्षा कार्यक्रम में समस्त परिवर्तन की सूचना विभिन्न सामाचार पत्रों, दूरदर्शन, स्क्रौल/विज्ञापन के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार किया जायेगा।

(15)उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा शारीरिक दक्षता में अर्ह अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के लिए अनुक्रमांक की सिरीज जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी, परीक्षा केन्द्रों तथा परीक्षा कक्षों की वीडियोग्राफी की व्यवस्था जिलाधिकारियों के माध्यम से एवं उनके मार्गदर्शन में सुनिश्चित की जायेगी, तथा परीक्षा की तिथि को परीक्षा केन्द्रों में पारदर्शिता के दृष्टिगत् राजस्व विभाग से ईत्तर विभाग के कार्मिकों की ही अंतरीक्षक के रूप में परीक्षा ड्यूटी लगायी जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए अपने जनपद के कुल रिक्त पदों की स्थिति तथा दिनांक 05 दिसम्बर, 2015 तक, प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या की स्थिति से भी शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्या– / /XVIII(1)/2015 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इण्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव